9-10-19 वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण की ओर से श्री अमरिक सिंह वकील द्वारा वकालतनामा पेश किया गया शामिल पत्रावली किया गया उभयपक्ष स्वयं उपस्थित राजीनामा मय शपथ पत्र पेश किया राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 11-10-19 को पेश हो।

गुरसेवक सिंह
पहचानकर्ता
सुरेन्द्र सिहाग

बलदेव सिंह

रणदीप सिंह
पहचानकर्ता
अमरिक सिंह

11-10-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित गत पेशी पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त डिक्री जारी कर शामिल पत्रावली कि गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील अरिसल दफ्तर हो

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर

न्यायालय उपखण्ड अधिक

पीठासीन अधिकारी :– कपिल याद

राजस्व वाद संख्या :– 216 / 2019

1 गुरसेवकसिंह पुत्र श्री बल
हनुमानगढ़।

1 बलदेवसिंह पुत्र श्री कौर
हनुमानगढ़।

2 रणदीपसिंह पुत्र श्री बल
हनुमानगढ़।

दावा अन्तर्गत

1. श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिव
2. श्री अमरिकसिंह अधिवक

वादी द्वारा प्रतिवादीगण
इस न्यायालय में प्रस्तुत किया
संख्या 1 के नाम से वाके चक
व इसी चक के खाता संख्या
मे 0.221 हैक्टर व इसी चक
रिकार्ड है नकल जमाबंदी वा
69 / 12, 70 / 88, 71 / 35 स

अर्जीदावा की दफा 2
भूमि थी जो उनके फौत होने
संख्या 1 बलदेव सिह पर अ
कुछ भूमि वादी के दादा की
की हुई है। उक्त भूमि हिन्दु
संख्या 1 व 2 को बर्थ राईट
तथा अन्य सम्पति के अलावा
(पारीवारिक समझौता) कर
प्रतिवादी संख्या 2 को वाके
के नाम दर्ज कुल 2.309 है
69 / 12 मे दर्ज 3.165 हैक
बहिस्सा बराबर के तथा इ
दर्ज 0.221 हैक्टर भूमि मे
चक के खाता संख्या 71 /
वादी व प्रतिवादी संख्या
मुश वादी व प्रतिवादी सं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :– 216/2019

1 गुरसेवकसिंह पुत्र श्री बलदेवसिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़। — — वादी

—:: बनाम ::—

1 बलदेवसिंह पुत्र श्री कौरसिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 रणदीपसिंह पुत्र श्री बलदेवसिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़। — — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता — वादी
2. श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

—:: निर्णय ::— दिनांक :– 11-10-2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि मुझ वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक नम्बर 13 जे.डी.डबल्यू. खाता संख्या 57/53 मे 2.909 हैक्टर व इसी चक के खाता संख्या 69/12 मे 3.165 हैक्टर व इसी चक के खाता संख्या 70/88 मे 0.221 हैक्टर व इसी चक के खाता संख्या 71/35 मे 0.152 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है नकल जमाबंदी वाके चक 13 जे.डी.डबल्यू. खाता संख्या 57/53, खाता संख्या 69/12, 70/88, 71/35 सम्वत 2074–2077 हमराह पेश है।

अर्जीदावा की दफा 2 में वर्णित भूमि पूर्व मे मुझ वादी के दादा स्व. कौर सिह की भूमि थी जो उनके फौत होने के पश्चात बसिलसिला विरासतन मुझ वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 बलदेव सिह पर औद हुई तथा अर्जीदावा की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि मे से कुछ भूमि वादी के दादा की संयुक्त काश्त व संयुक्त आमदन से संयुक्त परिवार द्वारा खरीद की हुई है। उक्त भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है जिसमे मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बर्थ राईट हासिल है चूंकि उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा अन्य सम्पति के अलावा अर्जीदावा की दफा 2 मे वर्णित भूमि का आपस मे घरू बंटवारा (पारीवारिक समझौता) कर लिया है मुताबिक घरू बंटवारा पारीवारिक समझौता मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को वाके चक 13 जे.डी.डबल्यू. खाता संख्या 57/53 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 2.309 हैक्टर भूमि मे बहिस्सा बराबर के तथा इसी चक के खाता संख्या 69/12 मे दर्ज 3.165 हैक्टर मय गैरमुमकिन भूमि मे मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर के तथा इसी चक के खाता संख्या 70/88 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.221 हैक्टर भूमि मे भी मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर के व इसी चक के खाता संख्या 71/35 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.152 हैक्टर भूमि मे भी मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है। घरू बंटवारा के रोज से ही मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि पर काबिज रहकर बिना किसी रोक टोक के काश्त कर रहे है। परन्तु अभी तक राजस्व रिकार्ड मे समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित होने के कारण मुझ वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडता है।

लगातार 2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

वादी घोषणा इस अमर की प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 वाके चक 13 जे.डी.डबल्यू. खाता संख्या 57/53 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 2.909 हैक्टर भूमि मे बहिस्सा बराबर के तथा इसी चक के खाता संख्या 69/12 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 3.165 हैक्टर मय गैरमुमकिन भूमि मे मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर के तथा इसी चक के खाता संख्या 70/88 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.221 हैक्टर भूमि मे भी मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर के व इसी चक के खाता संख्या 71/35 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.152 हैक्टर भूमि मे भी मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार है तथा वाके चक 13 जे.डी.डबल्यू. खाता संख्या 57/53 से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण से इस बाबत निवेदन किया तो पहले तो वे टाल मटोल करते रहे बाद में आज से 10 रोज पूर्व मुकाम बनवाला मे साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। वाद वादीगण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमाई जावे कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 वाके को चक 13 जे.डी.डबल्यू. खाता संख्या 57/53 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 2.909 हैक्टर भूमि मे बहिस्सा बराबर के तथा इसी चक के खाता संख्या 69/12 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 3.165 हैक्टर मय गैरमुमकिन भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर के तथा इसी चक के खाता संख्या 70/88 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.221 हैक्टर भूमि मे भी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर के व इसी चक के खाता संख्या 71/35 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.152 हैक्टर भूमि मे भी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तथा वाके चक 13 जे.डी.डबल्यू. खाता संख्या 57/53 से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

(ख) अन्य कोई दादरसी करीने इन्साफ मुफीद मुदई हो तो अता फरमाई जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 09.10.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त प्रकरण मे हम पक्षकारान के मध्य पंचायत के मौजिज व्यक्तियों ने राजीनामा करवा दिया है। प्रतिवादी सख्या 1 के नाम से वाके चक नम्बर 13 जे.डी.डबल्यू. खाता संख्या 57/53 मे 2.656 हैक्टर व इसी चक के खाता संख्या 69/12 मे 3.165 हैक्टर व इसी चक के खाता संख्या 70/88 मे 0.221 हैक्टर व इसी चक के खाता संख्या 71/35 मे 0.152 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित भमि पूर्व मे वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व. कौर सिह की भूमि थी जो उनके फौत होने के पश्चात बसिलसिला विरासतन प्रतिवादी संख्या 1 बलदेव सिह पर औद हुई तथा उक्त वर्णित भूमि मे से कुछ भूमि स्व. कौर सिह की संयुक्त काश्त व संयुक्त आमदन से संयुक्त परिवार द्वारा खरीद की हुई है। उक्त भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है जिसमे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बर्थ राईट

लगातार 3

4. चक 13 जे.डी.डबल्यू. के खाता संख्या 71/35 की कुल 0.152 हैक्टर भूमि में वर्तमान प्रविष्टि **"बलदेवसिंह वल्द कौरसिंह जाति जटसिख साकिन बनवाला"** को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर **"वादी गुरसेवकसिंह, प्रतिवादी संख्या 2 रणदीपसिंह पुत्रान बलदेवसिंह जाति जटसिख साकिन बनवाला तथा प्रतिवादी संख्या 1 बलदेवसिंह वल्द कौरसिंह जाति जटसिख साकिन बनवाला"** को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 11-10-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 216/2019

1 गुरसेवकसिंह पुत्र श्री बलदेवसिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1 बलदेवसिंह पुत्र श्री कौरसिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 रणदीपसिंह पुत्र श्री बलदेवसिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 11-10-19

वादी की और से श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की और श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 11.10.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 13 जे.डी.डबल्यू. के खाता संख्या 57/53, 69/12, 70/88, तथा 71/35 में वर्णित भूमि में वादी एवम् प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

1. चक 13 जे.डी.डबल्यू. के खाता संख्या 57/53 की कुल 2.656 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन भूमि में वर्तमान प्रविष्टि **"बलदेवसिंह वल्द कौरसिंह जाति जटसिख साकिन बनवाला"** को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर **"वादी गुरसेवकसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 रणदीपसिंह पुत्रान बलदेवसिंह जाति जटसिख साकिन बनवाला"** को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

2. चक 13 जे.डी.डबल्यू. के खाता संख्या 69/12 की कुल 3.165 हैक्टर भूमि में वर्तमान प्रविष्टि **"बलदेवसिंह वल्द कौरसिंह जाति जटसिख साकिन बनवाला"** को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर **"वादी गुरसेवकसिंह, प्रतिवादी संख्या 2 रणदीपसिंह पुत्रान बलदेवसिंह जाति जटसिख साकिन बनवाला तथा प्रतिवादी संख्या 1 बलदेवसिंह वल्द कौरसिंह जाति जटसिख साकिन बनवाला"** को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

3. चक 13 जे.डी.डबल्यू. के खाता संख्या 70/88 की कुल 0.221 हैक्टर नहरी भूमि में वर्तमान प्रविष्टि **"बलदेवसिंह वल्द कौरसिंह जाति जटसिख साकिन बनवाला"** को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर **"वादी गुरसेवकसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 रणदीपसिंह पुत्रान बलदेवसिंह जाति जटसिख साकिन बनवाला"** को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

4. चक 13 जे.डी.डबल्यू. के खाता संख्या 71/35 की कुल 0.152 हैक्टर भूमि में वर्तमान प्रविष्टि **"बलदेवसिंह वल्द कौरसिंह जाति जटसिख साकिन बनवाला"** को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर **"वादी गुरसेवकसिंह, प्रतिवादी संख्या 2 रणदीपसिंह पुत्रान बलदेवसिंह जाति जटसिख साकिन बनवाला तथा प्रतिवादी संख्या 1 बलदेवसिंह वल्द कौरसिंह जाति जटसिख साकिन बनवाला"** को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 11-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
कमिश्नर की फीस	– –	कमिश्नर की फीस	– –
आदेशिका की तामिल	– –		
योग	– –	योग	– –

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.12.26 17:00:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: